

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तारीख
में जारी हुए

11/01/2018

पत्रावली पेश हुई। इसमें पत्रावली
असली तबकी में दिनांक 08/02/2018 को पेश की

8/2/18

पत्रावली आज पेश की गई।
दिनांक 22-3-18
पत्रावली पेश की जाय।



22/3/18

पत्रावली में पेश की गई
R.O. के.के. में पेश की गई
दिनांक 19/4/18
सत्यमेव जयते

23/05/2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिबिर
गोविन्दपुरा में पेश हुई। पत्रावली के परिणामी
तः 1. उमरिण आया। वारी हाऊस आया। वारी
के अधिकार उपर। पत्रावली में वारी के
सिक्केन किया कि वारी के अधिकार सिक्केन
किया कि गौजा धनोरा पत्रावली हलक
गोविन्दपुरा की आरजी संख्या 32, 829,
830, 833, 837, 838, 839, 843
कुल कितना 9 कुल रुकवा 3.5860 हेक्टर
भूमि वारी के परिणामी संख्या 1 के संयुक्त
खाते में वारी रिकॉर्ड लोक वारी के परिणामी
संख्या 1 के मध्य अधिक वारिसा लेना
जाहिर आया है। पत्रावली में आरजन

के.के.के.के.के.

विभाजन नहीं हुआ है। बिना कानून
विभाजन कराये प्रतिवादी किसी अन्य
किसी वीगर को रहन बस बेचान इत्यादि
नहीं करें। फावली में प्रस्तुत हस्ताक्षर
का कवलेरुन किया गया, जनन किया
गया। वही द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर के
द्वारा पर वही का वादपत्र स्वीकार करना
उचित नहीं होता है।

अतः वाद वही द्वारा 188 की
टी. ए. का स्वीकार कर कोश किया
जाता है कि इस कारण की वही
निष्ठा जारी की जाती है कि
प्रतिवादी संख्या 1 वादपत्र की संख्या
संख्या 2 में कंकित काराजी सं. 32,
89, 829, 830, 833, 837, 838, 839
843, कुल मिला 9 कुल रुका 3.5860
है जो कि का बिना कानून विभाजन
कराये किसी अन्य वीगर को रहन बस बेचान
नहीं करें। फावली में प्रस्तुत हस्ताक्षर
नंबर से कम लोक दायित्व दर्ज हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगुं (पितीइगढ़)